73

संख्या–940 /XV-2/01(12)/2004

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादूनः दिनांक 04, ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2013

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण योजना के पुनर्वैधीकरण द्वारा अप्रयुक्त धनराशि रू0 2.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1208/डा0बे0यो0(के0पु0यो0)/2013–14, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 के संदर्भ में एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मई 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–34-11(2)/2008-FY(S), दिनांक 11 नवम्बर, 2013 द्वारा 100 प्रतिशत डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण हेतु विगत वर्षों की अप्रयुक्त धनराशि रू0 2.37 लाख के पुनर्वैधीकरण की निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी हैः–

(अ) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 23.12.2006 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 14.00 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि रू0 1.00 लाख।

(ब) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 18.06.2010 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 4.15 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि रू0 0.61 लाख, जो पुनः वर्ष 2012–13 में पुनर्वैधीकरण द्वारा स्वीकृत।

(स) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 08.11.2012 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 3.39 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि रू0 0.76 लाख।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना में अवमुक्त धनराशि को पुनर्वैध करने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत रू0 2.37 लाख (रूपये दो लाख सैंतिस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने तथा इसे आहरण कर निम्न मदों में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो समक्ष अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः2

4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार किया जाये तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणम, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी।
6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–104–डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण–42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार **www.cts.uk.gov.in** से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट अलाटमैन्ट आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–102(P)/xxvii-4-13, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या–940(1)/XV-2/2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ अफसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।